न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 34 / 2016
RCMS No. 2016/00188

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण:—
1 राजूराम नायक पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी धुन्धला		1. मानीदेवी पत्नी मीठूसिंह जाति रावत निवासी धुन्धला तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी हरिपुर रेल्वे स्टेशन, तहसील रायपुर 2. सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धला

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति —

श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक:— 25/10/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, धुन्धला द्वारा मिसल संख्या 64 / 1997 संकल्प संख्या ..... की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 31.03.1997 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धुन्धला में प्रार्थी का कब्जासुदा भूमि आई हुई स्थित है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सोजतरोड़ में दर्ज करवाई, जिसमें जैर निगरानी पट्टे को फर्जी मानते हुए पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान के न्यायालय में चालान पेश किया है। इसी भूमि बाबत प्रार्थी को तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस भी जारी किए है, जिससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई मिसल कायम किए विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस मिसल में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने का इन्द्राज किया है, उक्त मिसल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की बनी ही नहीं है एवं न ही पट्टा संख्या 44 भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से बना है। तत्कालीन सरपंच द्वारा विधि विरूद्ध रूप से पट्टा संख्या 44 बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत को सरकारी भूमि पर भी पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किए बिना जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार

अ.जि. जिला कलक्टर, पाली

करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल एवं तत्सम्बन्धित रेकर्ड के सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने अपने पत्रांक/एस.पी.एल.1 दिनांक 04.01.2017 के जरिये अवगत कराया कि पंचायत रेकर्ड के अनुसार मिसल संख्या 64 दिनांक 15.09.1996 श्री मुकेश कुमार पुत्र जगदीश के नाम से दर्ज है तथा पट्टा संख्या 44 भी मानीदेवी के नाम से दर्ज नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम किए बिना ही, अन्य व्यक्ति की मिसल संख्या अंकित करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो न केवल विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग है, बल्कि राजकीय दस्तावेजात् में हेराफेरी कर आपराधिक षडयन्त्र करने की श्रेणी में परिलक्षित होता है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार जारी पट्टे को कायम रखा जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, धुन्धला द्वारा मिसल संख्या 64/1997 संकल्प संख्या ..... की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 31.03.1997 को अपास्त किया जाता है तथा अन्य व्यक्ति के नाम की मिसल एवं पट्टे की संख्या अंकित करते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरपंच एवं संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक षडयन्त्र कारित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धुन्धला को आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धुन्धला को आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली